फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना राजेपुर

दिनांक :- 27.09.2023

थाना राजेपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त चेतराम पुत्र विश्राम निवासी गाँधी थाना राजेपुर को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रवीन्द्रनाथ राय के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पुलिस द्वारा वारण्टी चेतराम पुत्र विश्राम निवासी गाँधी थाना राजेपुर सम्बन्धित वाद सं0- 1764/20 धारा- 352/452/323/506 भादवि में गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. चेतराम पुत्र विश्राम निवासी गाँधी थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ में वारण्टी चेतराम द्वारा बताया कि साहब पूर्व में झगड़ा हो गया था जिसमें मुकदमा लिख गया था किन्तु साहब हम मेहनत मजदूरी करते है जिस कारण उन मुकदमें की तारीख पर हम लोग नही जा सके थे जिस कारण उन मुकदमों में वारण्ट जारी हो गये थे । साहब गलती हो गयी है मांफ कर दों अब भविष्य में दुबारा गलती नही होगी ।

अभियुक्त चेतराम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0- 6079/2003 धारा- 452/323/506/352 भादवि थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।
2. मु0अ0सं0- 172/12 धारा- 147/323/354/452/504/506 भादवि थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री दिवाकर प्रसाद सरोज
2. उ0नि0 राजेश कुमार
3. कां0 अभिषेक कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

दिनाँक -27.09.2023

फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 357/23 में वांछित अभियुक्त अनुराग दुबे उर्फ डब्बन पर 25 हजार रु0 का इनाम किया गया घोषित।

फतेहगढ़ पुलिस द्वारा थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 357/23 धारा 147/323/506/364ए/386/341/120बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त अनुराग दुबे उर्फ डब्बन पुत्र महेशचन्द्र दुबे निवासी ग्राम सहसापुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़, पुलिस और न्यायालय से बचने के लिए अपनी उपस्थिति छिपाये हुए है और लगातार फरार चल रहा है। उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही की जा चुकी है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु फतेहगढ़ पुलिस द्वारा 25,000/- रुपयें का पुरस्कार घोषित किया गया है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मोहम्मदाबाद

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त नत्थू पुत्र टिम्मा उर्फ सिपहिया निवासी पंखाखेडा थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर मु0अ0सं0– 542/1991 वाद संख्या- 65/1992 धारा – 395 भादवि थाना मोहम्मदाबाद में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 27.09.2023 को मा0 न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा **अभियुक्त नत्थू पुत्र टिम्मा उर्फ सिपहिया उपरोक्त को दोषी पाते हुए 06 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय

पैरोकार हे0का0 श्याम सिह

@fatehgarhpolice @fatehgarhpolice fatehgarhpolice

GPS Map Camera
Shamshabad, Uttar Pradesh, India
GCMQ+5H4, Shamshabad, Uttar Pradesh 209503, India
Lat 27.53302°
Long 79.43903°
27/09/23 09:46 AM GMT +05:30
Google

CeePee
मसाले

GPS Map
Farrukhabad, Uttar Pradesh, India